# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

## पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील : 07/2020**

**जी.सी.एम.एस. : 2020/00092**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| ललिता पुत्री स्वं. हिम्मताराम पत्नी रमेश कुमार जाति प्रजापत निवासी हाड़ियाकुआ सोजतसिटी, हाल निवासी 9/AF Solanki Complex Gandhi Road Sri peramudaur, Dist Kanchi Puram Tamilnadu, 602105 | | 1. दुर्गाराम पुत्र हिम्मताराम प्रजापत निवासी हाड़ियाकुआ सोजतसिटी हाल निवासी Pawan Pan Braker 17/82 Theradi Street Nemali Sri Perambudaur Dist. Kanchi Puran Tamilnadu 602105<br>2. गणपत पुत्र लिमाराम<br>3. कमला पुत्री लिमाराम जातियान प्रजापत निवासीगण हाड़ियाकुआ, सोजतसिटी जिला पाली<br>4. हेमाराम<br>5. केवलराम<br>6. खरताराम पीसरान पारसराम<br>7. रगुदेवी पत्नी पारसराम जाति प्रजापत निवासीगण हाड़ियाकुआ सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली<br>8. तहसीलदार भूमिधारक, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली |

**"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"**

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री किशन सोनी।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 11/12/2024

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 631 दिनांक 24.12.2001 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 5, 6 बावजूद सम्मन तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2, 4, 7 न्यायालय में अनुपस्थित होने अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मौजा गागुड़ा तहसील सोजत में खसरा संख्या 699 रकबा 1.5500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 753 रकबा 1.2500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1020 रकबा 0.8400 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसमें अपीलाण्ट के पिता, रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 3 के पिता तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 4 से 7 के पिता/पति का संयुक्त आराजी में 1/3–1/3 हक हिस्सा था। अपीलाण्ट के पिता हिम्मताराम का दिनांक 11.06.1996 एवं उनकी माता मिश्रीदेवी का दिनांक 01.01.1997 को देहान्त हो चुका है। जिसके विधिक उत्तराधिकारी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 है। अपीलाण्ट के माता–पिता के देहान्त के बाद जैर आराजी में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का 1/6 व 1/6 हक हिस्सा आया था, जिस पर वह शांतिपूर्वक निर्बाध रूप से काश्त कर रहे थे लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने योजनाबद्ध तरीके से संयुक्त खातेदारो से मिलावट करते हुये झूठे शपथपत्र व झूठी वंशावली बताकर जैर आराजी में फौतेदगी नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवा दिया, जो कि विधिविरूद्ध है। अपीलाण्ट तमिलनाडुं राज्य में रहने के कारण गांव में देखरेख करने आने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा जैर आराजी में उनका हक हिस्सा नहीं होने का बताने पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्राप्त हुई। इसलिये जैर आराजी में अपीलाण्ट विधिक उत्तराधिकारी होने के उपरान्त भी गलत तरीके से स्वीकृत जैर नामान्तरकरण को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 631 दिनांक 24.12.2001 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। ग्राम गागुड़ा का नामान्तरकरण संख्या 631 खातेदार हिम्मताराम पुत्र जसा एवं पारस पुत्र जसा कौम कुम्हार के फौत होने पर पटवारी हल्का द्वारा उसके जायन्दा विधिक वारिसानों के नाम दायर किया गया है, जो कि तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत किया है। उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर मृतक हिम्मताराम एवं पारस की जो वंशावली बनाई है उसे मृतक के वारिसान से तस्दीक करवाई जानी थी, जो नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेण्ट संख्या 3, 5 व 6 बावजूद सम्मन तामील एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2, 4 व 7 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है तथा उन्होनें किसी भी प्रकार का contest नहीं किया है और न ही उनके द्वारा अपीलाण्ट को हिम्मताराम

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

के वारिशान होने के तथ्य को भी किसी भी रूप में नकारा है, जो अपीलाण्ट की अपील को बल प्रदान करता है। इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों से सुस्पष्ट है कि हिम्मताराम के फौत होने पर जो जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिम्मताराम के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई है तथा बिना किसी सम्यक जांच के जैर अपील नामातन्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 631 दिनांक 24.12.2001 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड, तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दस्तावेज/साक्ष्य एवं मृतक हिम्मताराम के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 11/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner